अज़ अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

358/2015 223 किस्मत V/s छोटू खाँ

2015/00277

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री V.S. खंगारोत श्री B.L. प्रजापत 1से 4, 6/1, 6/2, 9 R-4, 6/1, 6/2 R-6, 7, 8, 10 से 14 4A-18	

15.7.22

किस्मत बनाम छोटू खॉं वगैरह

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 04, 6/1से 6/2, 9 उपस्थित हुए। अभिभाषक उभयपक्ष ने बताया कि प्रकरण में दिनांक 29.04.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04जा. दी. पर सुना जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र पर सुना गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा.दी. अन्दर मियाद होने से स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा.दी. स्वीकार किया जाता है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 04 अल्ताफ पुत्र हुसैन खा के वारिसान यथाः अल्फत बानो, फयाज, आसिन, शकिल तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 06 रसीदा बनो पुत्री हुसैन खा के वारिसान यथाः रूकसाना पुत्र आसीन खॉं, दिलशाद, नसीम को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।**

तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्ष ने बताया कि अपील में कुछ रेस्पोडेन्टस की तलबी बकाया है कि परन्तु न्यायहित में हमे अपील पर सुना जाकर आदेश न्यायहित में पारित करें।

अभिभाषक उभयपक्ष के निवेदन पर अभिभाषक उभयपक्ष को अपील पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 06 ने अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 18 के विरूद्ध एक वाद बाबत् कृषि आराजीयात खसरा नम्बर 950 रकबा 1.63 है0व खसरा नम्बर 110, 111, 271, 494, 495, 496, 717, 735, 898, 901, 921, 939 कुल किता 12 कुल रकबा 11.91 है0 वाकै ग्राम जड़ावता में स्थित है। उक्त भूमि बाबत् उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष वाद प्रस्तुत कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण को एक ही परिवार का सदस्य बताकर प्रस्तुत किया एवं पक्षकारान को अलग–अलग हिस्से अनुसार खातेदार घोषित करने की प्रार्थना पत्र की एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु भी अनुतोष चाहा गया, उक्त आराजीयात में अपीलार्थी भी खातेदार काश्तकार थी परन्तु वादी ने अपीलार्थी के पिता को अविवादित की फौता लिखते हुए वाद प्रस्तुत किया, अपीलार्थी को प्रतिवादी संख्या 12 कायम किया गया जिसकी तलबी हेतु पत्रावली नियम की परन्तु दिनांक 01.12.2014 को वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा दर्शित किया गया कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 12 के विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहते है इसलिए वाद में से प्रतिवादी संख्या 12 का नाम हजफ फरमाया जावें। इस प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर अन्य प्रतिवादीगण द्वारा पेश राजीनामें के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील प्ररतुत की है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अपीलार्थीया को वाद में प्रतिवादी संख्या 12 कायम किया गया परन्तु न तो अप्रार्थीगण की तलबी करवाई गई हैं एव ना ही अपीलार्थीया को सुनवाई का अवसर ही दिया गया इसलिए प्रश्नगत निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.012.2014 के आदेशिका में लिखा है वकील प्रतिवादी संख्या 01, 07 व पैरोकार सरकार जवाब पेश नहीं करना जाहिर किया, बहस सुनी गई। वाद डिक्री किया जाता है। विधिनुसार किसी प्रतिवादी का जवाब नहीं आने पर वाद डिक्री करने का कोई प्रावधान नही है। जवाब पेश नहीं किये जाने पर या बंद कर दिये जाने

पर बिना साक्ष्य लिये वाद डिक्री नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा कर प्रक्रिया सम्बन्धी गंभीर त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिकार्ड पर कोई साक्ष्य नहीं है तथा कोई दस्तावेज प्रदर्शित किये बिना ही वाद डिक्री पारित की है जो नॉन स्पीकिंग आर्डर की परिधि में आने से निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी को निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 01.07.2015 को हुई जब रेस्पोडेन्टस ने धमकी दी हमने तुम्हारी आराजीयात की डिक्री करवा ली है। इस पर अपीलार्थी द्वारा तुरन्त जाकर नकले प्राप्त की गई दिनांक 0.2.07.2015 को नकले प्राप्त होने पर अपीलार्थी को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई इस पर अपीलार्थी द्वारा अधिवक्ता नियुक्त कर यथाशीघ्र यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपील प्रस्तुत करने में देरी उपरोक्त कारण से हुई जो क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.04.2014 को प्रस्तुत पारिवारिक समझौता पत्र के आधार पर दिनांक 07.06.2014 को प्रस्तुत वाद घोषणात्मक खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा राजीनामा को तस्दीक किया गया है जिसमें सभी पक्षकारान सहमत नहीं थे तथा राजीनामा दवाब में किया गया है जो विधि सम्मत नही होने के कारण पुनः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपील का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित है वह संतोषजनक कारण है, इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण करना उचित समझते है। आदेश 23 नियम 3 जाप्ता दीवानी के अनुसार किसी भी वाद में पक्षकारों की सहमति से राजीनामा हो सकता है। राजीनामा/लोक अदालत प्रकरणों का एक सुदृढ़ वैकल्पिक साधन/तरीका (Mode) है। राजीनामा जब पक्षकारो की सहमति से होता है तो उसकी वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगाना विकट ही है क्योंकि जो कोई पक्षकार राजीनामा में प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है तो उसे यह साबित करना होगा कि या तो उक्त राजीनामा धोखे से कराया गया है अथवा विधि विरुद्ध है इसके अतिरिक्त सामान्यतया न्यायालय राजीनामा के आधार पर पारित आदेशों/निर्णयों को वैद्य ही मानेगी किन्तु कानून की यह स्पष्ट मंशा है कि पक्षकार यदि किसी प्रकरण को राजीनामा के माध्यम से निस्तारण करना चाहता है तो राजीनामा कानून की परिधि में होना आवश्यक है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामे में सभी पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। वाद में अपीलार्थी को प्रतिवादी संख्या 12 कायम किया गया परन्तु न तो अपीलार्थी की तलबी करवाइ नही गई,ना अपीलार्थीया को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया तथा सभी पक्षकारान उक्त राजीनामें से सहमत नही थें। वाद में जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा प्रकरण में बिना साक्ष्य लिये एवं प्रॉपर तामिल करवाये अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित की है। उक्त राजीनामा कानून की परिधि में नही है तथा इस तरह के विधि विरुद्ध राजीनामा के आधार पर पारित डिक्री को

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

358/2015/223 किस्मत / कोड

तारीख	2015/00277 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर R-4,6,15	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री V.S. खंगारोत श्री B.L. शर्मा	

लगातार

अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, दूदू के द्वारा वाद संख्या 55/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.12.2014 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय मे राजीनामा से पूर्व दावे में पुनः नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही कर उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए दावे का निरतारण गुणावगुण के आधार पर करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर